31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन के मुख्य शब्द

अध्याय 1: सिंहावलोकन

राज्य की रूपरेखा, आधार और राज्य के वित्त के प्रति दृष्टिकोण लेखापरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट संरचना, सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन, राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण की उपलब्धि, लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों ।

अध्याय 2: राज्य के वित्त

प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, स्रोत और निधियों के अनुप्रयोग, राज्य के संसाधन, संसाधनों का अनुप्रयोग, लोक लेखा, ऋण प्रबंधन, ऋण स्थिरता विश्लेषण, उधार ली गई निधियों का उपयोग में बड़े परिवर्तन।

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

बजट प्रक्रिया, विनियोग लेखा, बजटीय और लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ, बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ।

अध्याय 4: खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड, ब्याज वाली जमाराशियों के ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधि, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, विभागीय आंकड़े का समाधान, प्रमाणीकरण, दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लिए स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई।

अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

लेखापरीक्षा का आदेश, एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता, एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण, एसपीएसई से रिटर्न, घाटे में चल रहे एसपीएसई, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खातों की प्रस्तुति, सरकारी कंपनियों के खातों की वैधानिक द्वारा लेखा परीक्षा लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के खातों की अनुपूरक लेखा परीक्षा, प्रबंधन पत्र।